

कार्यालय जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय।
आदेश

दिनांक 30.09.2016 को बेगूसराय जिला के लिए कानपुर फर्टिलाइजर्स एण्ड सिमेंट लिमिटेड कम्पनी का जेपीओ नीम यूरिया कुल 16000.00 मेोटन का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे बेगूसराय रैक बिन्दु से उठाव किया जाना है। प्रधान सचिव कृषि विभाग द्वारा पटना के पत्रांक 88 दिनांक 21.01.2015 के द्वारा पैक्सों को 15 प्रतिशत उपावटन किये जाने का निर्देश प्राप्त है।

अतः उक्त उर्वरकों की कुल मात्रा में से फॉर्म 'ओ' के अनुसार प्रखंडवार निर्बंधित पैक्सों को कुल आवंटन का 15 प्रतिशत यूरिया कुल 240 मे टन एवं खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को यूरिया कुल 1360.00 मे टन उर्वरक उपावटित किया गया है जिसका प्रखंडवार विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	प्रखंड का नाम	मे० विश्वनाथ प्रसाद राजाराम, कचहरी रोड, बेगूसराय	मे० देवी प्रसाद मसकरा कचहरी रोड बेगूसराय।	खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के लिए उपावटित उर्वरक की मात्रा(मे० टन)	पैक्सों को उपावटित उर्वरकों की मात्रा (मे० टन मे)	प्रखंडवार पैक्सों को निम्न शीक उर्वरक विक्रेता द्वारा उर्वरक की आपूर्ति की जाएगी	गोदाम का पता	कुल उपावटित उर्वरक की मात्रा(मे० टन)
1	बेगूसराय	131		131	24			155
2	मटिहानी	126		126	23		बिहार राज्य बीज निगम गोदाम, खातोपुर बेगूसराय।	149
3	बरौनी	82		82	14	मे० विश्वनाथ प्रसाद राजाराम		96
4	वीरपुर	50		50	9			59
5	शाम्शो	68		68	12	मे० देवी प्रसाद मसकरा	गोदाम संख्या-10 बाजार समिति बेगूसराय।	80
6	तेघड़ा	93		93	16			109
7	बछवाड़ा	100	17	117	21			138
8	भगवानपुर	98		98	17			115
9	मसूरचक	50		50	9	मे० विश्वनाथ प्रसाद राजाराम	बिहार राज्य बीज निगम गोदाम, खातोपुर बेगूसराय।	59
10	बलिया	118		118	21			139
11	साठ कमाल	104		104	18			122
12	डंडारी		48	48	8			56
13	चे० बरियापुर		52	52	9			61
14	छौड़ाही		30	30	5			35
15	खोदावंदपुर		38	38	7			45
16	बखरी		59	59	10	मे० देवी प्रसाद मसकरा	गोदाम संख्या-10 बाजार समिति बेगूसराय।	69
17	गढ़पुरा		46	46	8			54
18	नावकोटी		50	50	9			59
19	पैक्स	180	60					
	कुल	1200	400	1360	240			1600

संबंधित शीक उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि बेगूसराय रैक बिन्दु से उक्त उर्वरकों का उठाव कर अपने गोदाम में भंडारित करेंगे तथा संबंधित गोदाम से उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर स्वयं अथवा प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए संलग्न विक्रेता के अनुसार संबंधित पैक्सों/खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को निर्धारित मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। पैक्सों द्वारा 15 दिनों के अंदर उठाव नहीं करने की स्थिति में उसी प्रखंड के खुदरा उर्वरक विक्रेता को उपावटित मात्रा उपलब्ध कर दिया जायेगा। विभागीय निर्देश के आलोक में 20 प्रतिशत उर्वरक की मात्रा सुरक्षित रखी जाये तथा अगले रैक के आने पर सुरक्षित उर्वरक का वितरण संबंधित प्रखंडों में किया जाये।


जिला कृषि पदाधिकारी
बेगूसराय।

आपांक 18-15- /दिनांक 2/10/16

प्रतिलिपि:- संबंधित थीक विक्रेता /संबद्ध निबंधित पैक्स अध्यक्ष बेगूसराय जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- एरिया मैनेजर, कानपुर फर्टिलाइजर्स एण्ड सिमेंट लिमिटेड कम्पनी, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित निदेश दिया जाता है कि संबंध पैक्स/खुदरा उर्वरक विक्रेताओं का मण्डार सत्यापन कर निर्धारित मूल्य पर कृषकों के बीच उर्वरकों का वितरण एवं उसका सत्यापित सूची अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेगूसराय जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी अंचल अधिकारी, बेगूसराय जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आइ०टी० मैनेजर, बेगूसराय को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अपने स्तर से संबंध पैक्स /प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को संसूचित करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि:- उपविकास आयुक्त, बेगूसराय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक (शाख) मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कृषि निदेशक, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


जिला-कृषि पदाधिकारी
बेगूसराय।
30-9-16